

भारत में वचाराधीन बंदियों की स्थिति

प्रलिस के लयः

संवधान दवस, [BNSS की धारा 479](#), CrPC की धारा 436A, [सर्वोच्च न्यायालय](#), वचाराधीन बंदियों के लय ज़मानत संबंधी कानून, [संसद](#), पुलस, न्यायालय

मेन्स के लयः

भारत में कारागार प्रशासन की स्थति, भारत में कारागार से संबंधति मुद्दे, [दंड प्रक्रया संहति 1973](#)

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने 26 नवंबर (संवधान दवस) तक अपनी अधिकतम सजा का एक तहाई से अधिक हसिसा काट चुके वचाराधीन बंदियों की रहाई में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर बल दया ।

- यह पहल हाल ही में अधनियमति भारतीय नागरक सुरक्षा संहति (BNSS), 2023 के अनुरूप है, जसमें पहली बार अपराध करने वालों के लय रयायती जमानत का प्रावधान कया गया है ।

नोट: वचाराधीन बंदी ऐसा व्यक्त होता है जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए या अपने खलाफ वधकि कार्यवाही के समापन की प्रतीक्षा करते हुए कारागार में रहता है । इस श्रेणी में ऐसे लोग शामिल होते हैं जन्हें अभी तक कसी अपराध के लय दोषी न ठहराया गया हो एवं वधकि प्रक्रया के दौरान उन्हें न्यायकि हरिसत में रखा गया हो ।

भारत में वचाराधीन बंदियों की वर्तमान स्थति क्या है?

- वचाराधीन बंदियों का उच्च अनुपात: राष्ट्रीय अपराध रकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की कारागार सांख्यिकी भारत 2022 रपॉर्ट के अनुसार, भारत के कारागारों में बंदियों की संख्या 75.8% (5,73,220 में से 4,34,302) है ।
 - कारागार में बंद 23,772 महिलाओं में से 76.33% वचाराधीन हैं तथा सभी वचाराधीन बंदियों में से 8.6% तीन वर्ष से अधिक समय से कारागार में हैं ।
- अत्यधिक भीड़: सर्वोच्च न्यायालय के अनुसंधान एवं योजना केंद्र की एक रपॉर्ट के अनुसार, भारतीय कारागारें 131% क्षमता पर संचालति हो रही हैं तथा इनमें 436,266 की क्षमता के मुकाबले 573,220 बंदी हैं ।
 - उल्लेखनीय बात यह है क इन्हें से 75.7% बंदी वचाराधीन हैं ।
- वधकि प्रतनिधित्व का अभाव: अनुच्छेद 39A के तहत मुफ्त वधकि सहायता की गारंटी दयि जाने के बावजूद, कई वचाराधीन बंदियों को अधविकृता-बंदी अनुपात अपर्याप्त होने के कारण वधकि प्रतनिधित्व तक पहुँच नहीं मलि पाती है, जससे वे प्रभावी रूप से अपना बचाव करने में असमर्थ हो जाते हैं ।

WHAT THE DATA SHOW

5,73,220

Total prisoners

4,34,302

Undertrials

3 OUT OF 4

prisoners (75.8%)
were undertrials

59.7%

of undertrial inmates were from six states — Uttar Pradesh, (21.7%), Bihar (13.2%), Maharashtra (7.6%), Madhya Pradesh (6.2%), Punjab (5.6%), and West Bengal (5.4%)

65.2%

of undertrials were either illiterate (26.2%), or had received education till at most Class X (39.2%)

19.3% of undertrials were Muslim, 4.7% Sikh, more than the communities' respective shares in population (14.2% and 1.7% in 2011 Census)

20.9% of undertrial inmates were SCs, 9.3% were STs. Their shares in population are 16.6% and 8.6% respectively (2011 Census)

14.6% of undertrials had spent for 1-2 years, 7.8% 2-3 years, 6% 3-5 years, and 2.6% more than five years

40.7% increase in the number of undertrials in India since 2017, when their population stood at 3,08,718

Source: NCRB; data till December 31, 2022

भारत में वचिराधीन बंदियों से संबंधित प्ररवधान क्या हैं?

- **BNSS की धारा 479:** इसका उद्देश्य पहली बार अपराध करने वालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए लंबे समय तक हरिसत में रखने की अवधि को कम करना है।
- पहली बार अपराध करने वालों के लिये शथिलि मानक: पहली बार अपराध करने वालों को (जनि पर पूर्व में कोई दोष सद्वि न हुआ हो) अधिकतम सजा का एक तह्राई हसिसा पूरा करने के बाद जमानत पर रहिा कथिा जाना चाहयि।
- जमानत के लिये सामान्य नयिम: गैर-मृत्युदंड योग्य अपराधों (मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं) के आरोपी वचिराधीन बंदी अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने के बाद जमानत के लिये पात्र होते हैं।
 - यह CrPC की धारा 436A पर आधारित है, जसिमें इसी तरह आधी सजा काटने के बाद रहिाई की अनुमतदी गई है।
 - अपवाद: ये प्ररवधान एक से अधिक अपराधों या अन्य अपराधों के लिये चल रही जाँच से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होंगे।
- **CrPC की धारा 436A:**
 - जमानत के लिये पात्रता: जनि वचिराधीन बंदियों ने अपने कथति अपराध के लिये अधिकतम कारावास अवधि की आधी अवधि काट ली है, उन्हें व्यक्तगित बाँण्ड (जमानत के साथ या बनिा) पर रहिा कथिा जा सकता है।
 - अपवरजन: यह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराधों पर लागू नहीं होता।
- न्यायपालिका द्वारा नरिदेश:
 - कारागार की स्थति पर सर्वोच्च न्यायालय की जनहति याचकिा (2013): 1382 2222222222 2222 2222222222 22222222 222 22222222 में न्यायालय ने कारागारों में अत्यधिक भीड़, वलिंबति सुनवाई और वचिराधीन बंदियों की लंबे समय तक हरिसत में रखने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।
 - इसने राज्य सरकारों को नरिदेश दिया कि वे CrPC की धारा 436A के तहत पात्र वचिराधीन बंदियों की समय पर पहचान और रहिाई सुनश्चित करें।
- **BNSS की धारा 479 का प्ररवव्यापी प्रभाव से लागू होना:** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि BNSS के तहत जमानत के शथिलि प्ररवधान, इसके अधिनियमन से पहले दर्ज मामलों पर प्ररवव्यापी प्रभाव से लागू होंगे।
- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरति सुनवाई एक मौलिक अधिकार है और सुनवाई में कसिी भी अनुचित देरी के कारण जमानत दी जा सकती है।

भारत में वचाराधीन बंदियों के संकट के नहलतारुथ क्का हैं?

- **मौलकल अधकरारों का उल्लंघन:** बनी सुनवाई के लंबे समय तक हरलसत में रखना भारतीय संवधलन द्वारा गारंटीकृत कई मौलकल अधकरारों का उल्लंघन करता है, जसलमें **शीघ्र सुनवाई का अधकरार (अनुच्छेद 21)** और दोषी साबतल होने तक नरलदोषता की धारणा **[अनुच्छेद 20(3)]** शामिल है।
 - **न्यायकल लंबतल मामले:** वचाराधीन बंदियों की उच्च संख्या भारतीय न्यायकल प्रणाली में लंबतल मामलों की संख्या में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। ये लंबतल मामले सभी व्कतयों के लयल न्याय में वललंब करते हैं और वधकल प्रणाली में जनता के वशलवास को कम करते हैं।
- **वललंबतल न्याय का प्रभाव:** लंबे समय तक हरलसत में रखने से न्याय तक पहुँच, पुनरवास और वचाराधीन बंदियों और उनके परवारों की सामाजकल-आरुथकल भलाई प्रभावतल होती है।
 - कारागारों में अत्यधकल भीड़ के कारण प्रायः **अमानवीय जीवन स्थतलथल पैदा हो जाती हैं, जसलसे स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानकल चुनौतयलें बढ़ जाती हैं।**
- **मानसकल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:** बनी दोषसधलध के लंबे समय तक कारावास में रहने से वचाराधीन बंदियों में गंभीर मनोवैज्ञानकल संकट पैदा हो सकता है, जसलमें चतल, अवसाद और नरलशा की भावना शामिल है।
- **वशलवास का कषरण:** वचाराधीन बंदियों की अधकल संख्या और इसके परणामस्वरूप होने वाली देरी से वधकल व्कवस्था में लोगों का वशलवास कम होता है। जब न्याय में देरी होती है या उसे नकार दया जाता है, तो नागरकलों का वधकल व्कवस्था की समय पर और नषलपकष परणाम देने की कषमता पर वशलवास खतम हो सकता है।

भारत में कारागारों का वनलयलमन कैसे कया जाता है?

- **संवधानकल प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 21:** यह बंदियों को यातना और अमानवीय व्कवहार से बचाता है। यह बंदियों के लयल समय पर सुनवाई भी सुनशलचित करता है।
 - **अनुच्छेद 22:** गरलफ्तार व्ककतल को उसकी गरलफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचतल कया जाना चाहयल और उसे अपनी पसंद के अधवकता से परामरुश करने और बचाव कराने का अधकरार है।
 - **अनुच्छेद 39A:** वधकल प्रतनलधतलव का व्कय वहन करने में असमरुथ लोगों को न्याय सुनशलचित करने के लयल [नःशुल्क वधकल सहायता](#) सुनशलचित करता है।
- **वधकल ढाँचा:**
 - **कारागार अधनलयलम, 1894:** ब्रलटलश शासन के दौरान अधनलयलमतल कारागार अधनलयलम, भारत में कारागार प्रबंधन के लयल आधारभूत वधकल ढाँचे के रूप में कार्य करता है।
 - यह बंदियों की हरलसत और अनुशासन पर केंद्रतल है, लेकनल इसमें पुनरवास और सुधार के प्रावधानों का अभाव है।
 - **बंदी शनाख्त अधनलयलम, 1920:** यह कानून बंदियों की पहचान प्रकरयल और बायोमेट्रकल डेटा के संग्रह को नरयलतुरतल करता है।
 - **बंदियों अंतरण अधनलयलम, 1950:** यह वभलनलन राज्यों और अधकरार कषेत्रों के बीच बंदियों के अंतरण के लयल दशलानरलदेश प्रदान करता है।
- **नरलकषण तंत्र**
 - न्यायकल नगरलनी: भारतीय न्यायपालकल जनहतल याचकलओं (PIL) और बंदियों के अधकरारों से संबंधतल वशलषलट मामले के माध्यम से कारागार की स्थतलथलें की नगरलनी करने में महत्त्वपूर्ण भूमकल नभलती है।
 - उदाहरण के लयल, डी.के. बसु बनाम पश्चलम बंगाल राज्य (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गरलफ्तारी और हरलसत के लयल सख्त प्रोटोकॉल का नरलदेश दया था।

भारत में कारागार सुधार से संबंधतल पहल क्का हैं?

- **कारागार आधुनकीकरण योजना:** कारागारों, बंदियों और कारागार कर्मयों की स्थतलथलें सुधार लाने के उद्देश्य से कारागारों के आधुनकीकरण की योजना वरुष 2002-03 में शुरू की गई थी।
- **कारागार आधुनकीकरण परयोजना (2021-26):** सरकार द्वारा कारागारों की सुरक्षा बढ़ाने और सुधारात्मक प्रशासन कार्यक्रमों के माध्यम से बंदियों के सुधार और पुनरवास के कार्य को सुवधलजनक बनाने के लयल कारागारों में आधुनकल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लयल परयोजना के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासतल प्रदेशों को वतलतीय सहायता प्रदान करने का नरुणय लया गया है।
- **ई-कारागार परयोजना:** ई-कारागार परयोजना का उद्देश्य डजलटललीकरण के माध्यम से कारागार प्रबंधन में दकषता लाना है।
- **मैनुअल कारागार का मॉडल अधनलयलम, 2016:** यह मैनुअल कारागार के बंदियों को उपलब्ध वधकल सेवाओं (नःशुल्क सेवाओं सहतल) के बारे में वसलतुत जानकारी प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय वधकल सेवा प्राधकररण (NALSA):** इसका गठन वधकल सेवा प्राधकररण अधनलयलम, 1987 के तहत कया गया था, जो 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था, जसलका उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त एवं सकषम वधकल सेवाएँ प्रदान करने के लयल एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापतल करना था।

आगे की राह:

- **कारागारों को सुधारात्मक संस्थान बनाना:** कारागारों को पुनर्वास और "सुधारात्मक संस्थान" बनाने का आदर्श नीतिगत नुस्खा तभी प्राप्त होगा जब अवास्तविक रूप से कम बजटीय आवंटन, उच्च कार्यभार और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के संबंध में पुलिस की लापरवाही के मुद्दों का समाधान किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन समिति की सफ़ािश: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति अमिताभ राय (सेवानिवृत्त) समिति (2018) नियुक्त की गई, समिति द्वारा कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या से निपटने हेतु निम्नलिखित सफ़ािशें की गई:**
 - त्वरित सुनवाई, भीड़भाड़ की अनुचित घटना को दूर करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है।
 - प्रत्येक 30 बंदियों के लिये कम-से-कम एक वकील होना चाहिये, जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।
 - पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित छोटे-मोटे अपराधों से निपटने के लिये विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित की जानी चाहिये।
 - प्ली बारगेनिंग की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, जिसमें अभियुक्त द्वारा कम सज़ा के लिये अपना अपराध स्वीकार किया जाता है।
- **कारागार प्रबंधन में सुधार:** इसमें कारागार कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना, साथ ही निगरानी और जवाबदेही के लिये प्रभावी प्रणालियाँ लागू करना शामिल है।
 - इसमें बंदियों को स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और चकितिसा जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना भी शामिल है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-of-undertrial-prisoners-in-india>

